कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajasthan.gov.in

क्रमांक : विकास / 2022 / 683 दिनांक : 21 .03.2022

प्रेषितिः

श्रीमान डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल
प्रिंसीपल बेन्च
नई दिल्ली

विषय : 50 मगरमच्छो के मरने की जांच रिपोर्ट के सबंध में।
प्रसंग : आपका पत्र दिनांक 07.03.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण Suo Moto Matter OA.No 197/2022 में कोटा के काला तालाब में निर्माण एवं सौन्दर्यकरण की गतिविधियो के कारण 50 मगरमच्छो के मरने के संबंध में प्रकरण की जांच एवं रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु उप वन संरक्षक कोटा, सचिव नगर विकास न्यास कोटा एवं क्षेत्रीय अधिकारी राज. राज्य पूदषण नियंत्रण मंडल की समिति गठित कर संयुक्त मौका मुआयना कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु उक्त समिति को निर्देशित किया गया था।

उक्त सबंध में संयुक्त मौका मुआयना कर जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो कि श्रीमान को संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–मौका जांच रिपोर्ट की प्रति

जिला कलक्टर
कोटा (राज.)

वस्तुस्थिति रिपोर्ट

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण संख्या 197/2022 दिनांक 07.03.2022 एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 571 दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा काला तालाब क्षेत्र का दिनांक 15.03.2022 को निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में न्यास स्वामित्व भूमि खसरा नं0 101 रकबा 7.4 हेक्टेयर किस्म बंजड पर जन उपयोगी पार्क, अस्पताल व स्कूल आदि के लिये भूखण्ड, आवासीय योजना, चारों तरफ स्थित कॉलोनियों के तालाब में गिरने वाले नालियों के गन्दे पानी को Drain out कराने हेतु RCC नाले का निर्माण आदि जनहित में किया जा रहा है। उक्त नाला निर्माण से तालाब में मिलने वाला गन्दा Domestic water, Sewerage रुक जायेगा। इससे भविष्य में तालाब के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। उपरोक्त कार्य तालाब भूमि में ना होकर न्यास की भूमि में है।

2. ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में स्थित तालाब जिसका खसरा नं0 100 तथा रकबा 4.77 हेक्टेयर (29 बीघा) है। इस नं0 पर न्यास द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।

3. राजस्व ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में स्थित तालाब में आस–पास की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट प्रवाहित होता है एवं साथ नजदीक से जा रही नहर का सीपेज पानी भी तालाब में आता है। तालाब में घरेलू उच्छिष्ट, नहरी सीपेज एवं बारिश के पानी के अलावा और कोई पानी का स्त्रोत नहीं है।

4. निरीक्षण के दौरान मौके पर तालाब में किसी मगरमच्छ के मरने के कोई साक्ष्य नहीं मिले । यह तालाब चम्बल नदी एवं चम्बल घडियाल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है तथा यह चम्बल नदी से लगभग एरियल डिस्टेंस दूरी लगभग 3.5 कि0मी0 है। तालाब के तीन तरफ बस्ती एवं एक तरफ श्मशान एवं कब्रिस्तान है। स्थायी निवासीयों की ओर से मगरमच्छो के बारें में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतः वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

(राकेश गुप्ता)	(रवि कुमार मीणा)	(राजेश जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी	डी.एफ.ओ, कोटा	सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल		नगर विकास न्यास
कोटा		कोटा